


आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक सी.एम.ओ./कोविड-19/2022 दिनांकित 18.01.2022 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि जनपद न्यायालय बुलन्दशहर परिसर में श्रीमती श्रेया सोलंकी एवं श्रीमती नम्रता सिंह, अपर सिविल जज (जू0डि0) बुलन्दशहर तथा एक अधिवक्ता श्री हेमन्त सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजेटिव आयी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को सेनेटाईजेशन कर 24 घण्टे परिसर को बन्द करने हेतु संतुति की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 2423/LXXXVII-सीपीसी/ईकोट/इलाहाबाद दिनांकित 09.01.2022 के पैरा संख्या-04 के अनुपालन में जनपद न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर को सेनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 19.01.2022 को बन्द रखा जायेगा तथा दिनांक 20.01.2022 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेंगे।


सर्व सम्बन्धित सूचित हों।
दिनांक-18.01.2022.


(यशवन्त कुमार मिश्र)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।
02. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
03. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
04. मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर।
05. अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
06. अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
07. जिला सूचना अधिकारी को समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
08. जिला कारागार अधीक्षक, बुलन्दशहर।
09. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त न्यायालय एवं कार्यालय।

दिनांक-18.01.2022.


(यशवन्त कुमार मिश्र)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।